# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

**पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर. ए. एस.**

**राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./222/2025/बाड़मेर**

| अपीलांट | रेस्पोडेंटगण |
|---|---|
| कमला देवी पत्नी हस्तीमल, उम्र 60 वर्ष, जाति जैन, निवासी विशाला मार्ग, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर। | 01. जसराज पुत्र धनाराम, उम्र 28 वर्ष<br>02. सवाई राम पुत्र धनाराम, उम्र 20 वर्ष<br>03. लक्ष्मी पुत्री धनाराम, उम्र 35 वर्ष<br>04. अनीता पुत्री धनाराम, उम्र 30 वर्ष<br>05. पप्पु पुत्री धनाराम, उम्र 22 वर्ष, जाति माली निवासी शास्त्री नगर, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर<br>06. धनाराम पुत्र चेलाराम उम्र 55 वर्ष जाति माली निवासी शास्त्री नगर, बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर<br>07. नरेन्द्रकुमार पुत्र हरखाराम, उम्र 45 वर्ष<br>08. खेराजराम पुत्र कानाराम, उम्र.....वर्ष, जाति जाट, निवासी जसोताणियो की ढाणी, भाडखा तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाडमेर<br>09. पुष्पादेवी पत्नी सताराम, उम्र..., जाति जाट, निवासी खारावाला, तहसील चौहटन<br>10. श्रीमान तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण |

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 177/2024 बउनवान जसराज वगैरह बनाम धनाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2025 के विरूद्व पेष हुई।

उपस्थितिः–

1. वकील श्री मुकेश जैन अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

## –:निर्णयः–

दिनांकः–06.03.2026

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पों. संख्या 01 से 05/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पैतृक पुश्तेनी भूमि कब्जा काश्त की भूमि जिला बाडमेर तहसील बाड़मेर ग्रामीण पटवार क्षेत्र जालीपा राजस्व ग्राम उदय नगर के खेत खसरा संख्या 2696/2465 रकबा 0.3731 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2535/180 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2479/180 रकबा 0.1619 हैक्टेयर. खसरा संख्या 2478/180 रकबा 0.1619 हैक्टेयर खसरा संख्या 2477/180 रकबा 0.3237 हैक्टेयर खसरा संख्या 2466/180 रकबा 0.3237 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी हेतु रेस्पों./वादीगण द्वारा अपीलाधीन वादपत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को सुने बिना ही एवं विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिससे अपीलांट के हितों पर कुठाराघात हुआ है। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पों. संख्या 01 से 05/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पैतृक पुश्तेनी भूमि कब्जा काश्त की भूमि जिला बाडमेर तहसील बाड़मेर ग्रामीण पटवार क्षेत्र जालीपा राजस्व ग्राम उदय नगर के खेत खसरा संख्या 2696/2465 रकबा 0.3731 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2535/180 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2479/180 रकबा 0.1619 हैक्टेयर. खसरा संख्या 2478/180 रकबा 0.1619 हैक्टेयर खसरा संख्या 2477/180 रकबा 0.3237 हैक्टेयर खसरा संख्या 2466/180 रकबा 0.3237 हैक्टेयर का आया हुआ है। अधिनस्थ अदालत मे वाद दिनांक 19/03/2025 को दर्ज होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के नोटिस सामान्य प्रक्रिया से तामिल हेतु जारी करने का आदेश जारी हुआ है लेकिन वकील वादीगण ने बिना अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बिना ही प्रतिवादीगण के नोटिस रजिर्स्टड डाक द्वारा जारी करवा दिए है। रजिर्स्टड डाक से नोटिस तभी जारी किए जा सकते है जबकि सामान्य प्रक्रिया से नोटिस तामिल नही हो रहे है या प्रतिवादीगण तामिल से बच रहा हो, इस प्रकार बिना न्यायालय के आदेश के प्रतिस्थापित प्रक्रिया से (रजिर्स्टड डाक) से नोटिस जारी करने से एवं विधि विरूद्ध तरीके से नोटिस जारी किए जाने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिकी दिनांक 08/07/2025 जो अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही पारित किया गया है। अपीलान्ट/प्रतिवादी के नोटिस दिनांक 23/03/2024 को पेशी दिनांक 04/04/2024 के लिए जारी होना बताया है। उक्त नोटिस अपीलान्ट को कभी भी प्राप्त नही हुए है उसके बावजुद भी ट्रेक रिर्पोट मे मिथ्या रूप से अपीलान्ट के नोटिस तामिल होना बता दिया गया है। पोस्ट से पत्ता करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त नोटिस अपीलान्ट की पुत्र वधु मंजू द्वारा प्राप्त किया गया है जो अपीलान्ट से अलग रहती है तथा अपीलान्ट की पुत्र वधु से बोल चाल बन्द है इस कारण नोटिस की सूचना पुत्र वधु मंजू ने अपीलान्ट को नही दी इस कारण अपीलान्ट पेशी तारीख पर हाजिर नही हो सकी इस कारण अपीलान्ट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

विरूद्ध एकतरफा कार्यावाही दिनांक 07/11/2024 को कर एकतरफा निर्णय एवं डिकी दिनांक 08/07/2025 पारित कर दी गई है जो विधि विरूद्ध है। वादीगण ने अपीलाधीन वाद रा.का. अधिनियम की धारा 88, 40, 188, व 209 के तहत प्रस्तुत किया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री में धारा 188 के सम्बन्ध मे कोई फाईडिंग नही दी है और नही कोई निर्णय पारित किया गया है इसी प्रकार धारा 188, 40 एवं 209 का विवेचन नही किया है इस प्रकार माननीय न्यायालय की र्निणय एवं डिकी 08/07/2025 पूर्णतया अस्पष्ट अर्पूण एवं दुषित है। प्रतिवादी सं 6 श्रीमान तहसीलदार उक्त वाद मे आवश्यक पक्षकार थे लेकिन वाद प्रस्तुत करने से पहले उन्हे धारा 80 सी.पी.सी का नोटिस नही दिया गया है और न ही नोटिस से विमुक्ति हेतु धारा 80 (2) सी. पी.सी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है, इस कारण र्निणय एवं डिकी दिनांक 08/07/2025 निरस्त करने योग्य है। वादग्रस्त खसरा सं 2466/180 के खातेदार दौलतकंवर पत्नी शैतानसिंह, राजपूत निवासी राजपूतो की ढाणी, कपूरड़ी एवं पिंकू राठौड़ पत्नी भगवानसिंह, राजपूत निवासी जानसिंह की बेरी, तहसील गड़रारोड़ जिला बाड़मेर एवं खसरा सं 2478/180 की खातेदारी दौलतकंवर पत्नी शैतानसिंह, राजपूत निवासी राजपूतो की ढाणी, कपूरड़ी जिला बाड़मेर है लेकिन वादीगण ने इन रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार नही बनाया है एवं उन्हे सुनवाई का अवसर दिए बिना उनके विरूद्ध र्निणय एवं डिकी पारित कर दी गई है जो विधि विरूद्ध है। आवश्यक पक्षकार के अभाव मे वाद चलने योग्य ही नही था इस कारण र्निणय एवं डिकी दिनांक 08/07/2025 विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

साथ ही वादीगण ने अपने वाद मे समर्थन मे प्रतिवादी सं 1 धनाराम द्वारा किए गए बेचान की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत नही की है और न ही साक्ष्य मे प्रदर्शित करवाई है जिसके अभाव मे वाद चलने योग्य नही था। वादग्रस्त आराजी खेत खसरा सं 180 रकबा 27.09 बीघा स्व. चेलाराम की खातेदारी की थी जिसके फौत होने पर चेलाराम के पुत्रो पदमाराम, ईश्वाराम, धनाराम, खेताराम एवं पत्नि बबरीदेवी का संयुक्त नामांतरकरण पारित किया गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं 1 का 1/5 हिस्सा था, जो उसका स्वअर्जित था जिसे बेचान करने का पूर्ण अधिकार था तथा रेस्पों./वादीगण का कोई हक हिस्सा नही था। अपीलान्ट ने वादग्रस्त भूमि धनाराम से नही क्रय की है बल्कि डुंगराराम पुत्र मूलाराम, जाति जाट, निवासी रोहिली एवं महेन्द्रसिंह पुत्र चिमनसिंह जाति जाट निवासी बाड़मेर से क्रय की है लेकिन रेस्पोडेन्ट ने उन्हे पक्षकार नही बनाया है, जबकि विधि अनुसार पक्षकार संयोजित किया जाना आवश्यक था। जिसका अपीलाधीन वादपत्र में अभाव प्रतीत होता है। अपीलान्ट 70 वर्ष की वृद्ध एवं विधवा महिला है जिसका हस्तगत वाद मे महत्वर्पूण हित है, उक्त र्निणय से अपीलान्ट की भूमि छीन जाएगी। इस कारण अपीलान्ट हस्तगत वाद को लड़ना चाहता है तथा जवाबदावा एवं साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करना चाहता है ताकि माननीय न्यायालय के समक्ष सचाई आ सकें। प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के अनुसार भी प्रत्येक पक्षकार को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे है। अपीलांट अपनी कब्जा–काश्त एवं खरीदशुदा आराजी का खातेदारी घोषणा करवाने के विधिक अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन निर्णय विधि के तथ्यों से परे जाकर पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया व विद्वान अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही पारित की गई प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। वकील अपीलांट के कथनानुसार अपीलांट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत विधिक तथ्य एवं साक्ष्य, सबूतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधिक तथ्यों की घोर अवहेलना का द्योतक है। अपीलाधीन निर्णय हाजा न्यायालय की राय में प्रथम दृष्टया उचित प्रतीत नहीं होता है। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 40, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 177/2024 बउनवान जसराज वगैरह बनाम धनाराम वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 08.07.2025 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए सभी पक्षकारों की उपस्थिति में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश चौधरी),
प्रथम राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

(ओमप्रकाश चौधरी),
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर